न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.
अपील सं. 17/2021
गुलाम कादर पुत्र स्व0 श्री असमील, जाति मुसलमान, निवासी नंवा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. नूरनबी पुत्र स्व0 श्री असमील, जाति मुसलमान, निवासी नंवा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 25–03–2021 न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, पीठासीन अधिकारी श्री दानाराम, आर०टी०एस०, वसीयत पत्रावली नम्बर 12/2020 में वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में नामान्तरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। बमुराद अपास्त किये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील

अपील उपस्थितः– 1. श्री लालचंद वर्मा,कैलाश कुमार धामू अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री बलविन्द्रसिंह, **संतोषसिंह भाटी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 02**
3. श्री शिवराजसिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

–:निर्णयः–

दिनांकः –09.05.2024

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 2 ने चक 2 आरआरडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 39/40 सम्वत 2068–2071 की 0.253 हैक्टेयर भूमि जो अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 के पिता असमील पुत्र लुकमान के नाम थी, को एक फर्जी व कूटरचित वसीयत दिनांक 18–11–2013 के आधार पर स्वयं के नाम नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 04–01–2021 प्रस्तुत की। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने उक्त फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर कतई गलत व विधि विरूद्व रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलांट व असलीम के शेष वारिसों को कोई नोटिस दिये बिना एक पक्षीय रूप से रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 25–03–2021 को पारित किया है। अपीलांट उक्त आदेश को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दे रहा।

अपीलालाधीन आदेश दिनांक 25–03–2021 एक पक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने कथित वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आक्षेपित आदेश से पूर्व स्व० श्री असमील के वारिसान को कोई सूचना नहीं दी जबकि किसी भी अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोलने से पूर्व उस व्यक्ति के समस्त वारिसान को व्यक्तिगत सूचना देनी आज्ञापक है कि मुस्लिम विधि में कोई भी व्यक्ति अपनी स[illegible]हीं कर सकता। कोई मुस्लिम अपनी सम्पति में से अधिकतम 1/3 स[illegible]ी वसीयत कर सकता है। हस्तगत मामला में असमील की [illegible]न 1/3 हिस्सा से अधिक यदि कोई व्यक्ति [illegible] समस्त वारिसान की सहमति आज्ञापक है तथा हस्तगत [illegible] भी वारिस की सहमति [illegible] थी व ना ही रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा इस सम्बन्ध में को[illegible] सहमति असमील के वारिस[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.13 14:56:05 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner

ली गई। कथित वसीयत के आधार पर कानूनन वर्जित थी तथा कथित वसीयतं दिनांक 18–11–2013 प्रारम्भतः अवैध व शून्य थी। इस वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 2 को अपीलाधीन आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी।

रेस्पोडेंट संख्या 2 अत्यधिक चालाक व चतुर किस्म का व्यक्ति है व उसने व उसके भाई रमजान ने स्व० श्री असमील की वृद्वावस्था व बीमारी का फायदा उठाकर स्व० श्री असमील के कई खाली स्टाम्प व कागजात पर अंगूठा लगवाकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किये हैं। प्रश्नगत 1 बीघा भूमि स्व० श्री असमील ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा व विवेक से अपीलांट को मोखिक हिब्बा रोबरू गवाह हबीबुल्ला पुत्र अलदादिता हाजी व अपीलांट के भाई गुलाबनबी व अपीलांट की बहिन गुलजारा उर्फ हसिना बेगम के कर दी थी तथा अपीलांट को प्रश्नगत 1 बीघा भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा उक्त हिब्बा के दिवस से प्रश्नगत भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में बतौर हिब्बाग्रहिता चली आ रही है। अपीलांट के भाई रमजान ने पूर्व में एक फर्जी व कूटरचित इकरारनामा स्व० श्री असमील के खाली स्टाम्प व कागजों पर करवाये गये अंगूठों पर तैयार कर दीवानी वाद संख्या 78/2012 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2 हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसका अपीलांट द्वारा प्रबल विरोध किया तथा उक्त वादपत्र दिनांक 14–09–2020 को खारिज फरमाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने भी स्व० श्री असमील के उक्त वर्णित खाली अंगूठाशुदा स्टाम्प व कागजों पर कूटरचना कर कथित वसीयत दिनांक 18–11–2013 तैयार की है। यदि स्व० श्री असमील द्वारा कोई वसीयत की जाती है तो उक्त वसीयत में असमील के परिवार के व्यक्ति जरूर उपस्थित होते परन्तु कथित वसीयत दिनांक 18–11–2013 में गवाहान गवाह रेस्पोडेंट के मिलने वाले व्यक्ति है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व ना जो मौका की जांच की व ना ही कब्जा काश्त की कोई रिपोर्ट मंगवाई। प्रश्नगत भूमि असो दराज से अपीलांट के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है तथा अपीलांट ने उक्त भूमि स्वयं के कब्जा में होने के सम्बन्ध में प्रश्नगत कृषि भूमि की पानी की पर्चिया उक्त दीवानी वाद संख्या 78/2012 में प्रस्तुत की थी जिसका रेस्पोडेंट संख्या 2 को भी ज्ञान है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा व ना ही आज उसका कब्जा है। प्रश्नगत भूमि आज भी अपीलांट के आधिपत्य व धारण में है। अपीलांट ने प्रश्नगत 1 बीघा भूमि के सम्बन्ध सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष राजस्व वाद संख्या 16/2021 के शीर्षक "गुलाम कादिर बनाम यासीन आदि" प्रस्तुत कर रखा है।

उक्त वर्णित वादपत्र में न्यायालय द्वारा दिनांक 05–04–2021 को स्थगन फरमाया गया। उक्त स्थगन आदेश का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के लिये जब अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या–1 के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र दिया तब अपीलांट को उक्त आक्षेपित आदेश का पता चला। इस पर अपीलांट ने अविलम्ब दिनांक 06–04–2021 को नकल हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 07–04–2021 को अपीलांट को उक्त आदेश प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर आक्षेपित आदेश का ज्ञान हुआ तत्पश्चात कोविड 19 की वजह लगे लॉकडाउन की वजह से अपीलांट विहित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सितम्बर 2021 तक प्रत्येक मामला में मियाद अवधि को बढ़ाये जाने का आदेश फरमाया हुआ है ताहम भी दिनांक 07–04–2021 से अपील प्रस्तुत करने के दिवस तक हुये विलम्ब को माफ करने के लिये पृथक से प्रार्थना–पत्र अन्तार्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है । अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–03–2021 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर [illegible] की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पो[illegible] 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख [illegible] कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में न्यायालय [illegible] स्थगन का अंकन राजस्व अभिलेख में

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.13 14:56:05 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार हनुमानगढ के कार्यालय प्रार्थना पत्र दिया तब दिनांक 07.04.2021 को उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर ज्ञान हुआ। तत्पश्चात कोविड 19 की वजह लगे लॉक डाउन की वजह से विहित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय न्यायालय ने सितम्बर 2021 तक प्रत्येक मामला में मियाद अवधि बढाये जाने का आदेश फरमाया हुआ है। अपने कथनों की ताईद में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए दिनांक 07.04.2021 से अपील प्रस्तुत करने तक की अवधि को माफ कर अपील को अंदर मियाद माने जाने का निवेदन किया।

अपनी बहस को जारी रखते हुए अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–03–2021 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1. Sulaxani & others vs Sattar Ali & others SA No. 474/2007 judgement date 02-05-22 HC of Chhattisgarh.
2. CCC 2017(4) Med 811
3. Mohammadan Law Rule 192

रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता का कथन है अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाये।

रेस्पोडेन्ट सं0 02 ने अपनी बहस में कथन किये कि अपीलकृत आदेश तहसीलदार दिनांक 25.03.2021, रेस्पोडेंट संख्या–2 के पक्ष में पिता असमील के द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर पारित किया गया है। वसीयत से यदि अपीलार्थी को कोई व्यथा है तो इसे वह सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने की चाराजोई कर सकता था परन्तु असमील की मृत्यु के पश्चात् जैसे ही वसीयत लागू हुई, अपीलार्थी ने नियत परिसीमा में वसीयत को चैलेंज नहीं किया जो इस स्थिति में अंतिम हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलकृत आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। वसीयत के बारे में वर्ष 2018 में ही मन प्रत्यर्थी के द्वारा प्रकटीकरण कर दिया गया था परन्तु इसका कोई विरोध अपीलार्थी ने नहीं किया था व न ही इसे चुनौति दी। अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि का हिब्बा (उपहार) अपने पक्ष में होना कथित किया है जो कि किसी पंजिकृत दस्तावेज पर आधारित ही नहीं है। अपीलार्थी ने कथित हिब्बा को आधार बनाकर न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष वाद प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन हैं ऐसी स्थिति में कथित मौखिक हिब्बा के आधार पर अपील का प्रस्तुत किया जाना ही अविधिक है। अभी तक किसी भी सक्षम न्यायालय ने कथित मौखिक हिब्बा के आधार पर अपीलार्थी के हक व अधिकार अभिनिर्धारित नहीं किये हैं। राजस्व न्यायालयों को किसी भी दस्तावेज की वैधता परखने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या–2 के पक्ष में अपने पिता असमील की वसीयत निष्पादितशुदा है जिसके आधार पर नामान्तरण दर्ज होने से अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की क्षति होना संभावित नहीं है। इन्तकाल की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिससे किसी भी सम्पति का राईट, टाईटल निर्धारित नहीं होता है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1. 2017(2) RRT 1355
2. 2021(2) RRT 952
3. 2020(2) RRT 828

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया और उद्धृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत [illegible] अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि[illegible] [illegible]ा पत्र व अपीलार्थी के शपथ पत्र के आधार पर अपील में [illegible] (कंडोन) करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम [illegible]कार किया जाता है।
2. तहसीलदार संगरिया द्वारा अपीलाधीन आदेश दि[illegible] 25–03–2021 से पूर्व गवाह श्री जसकरण सिंह पुत्र फोजासिंह निवासी नवां [illegible] बयान लिया जाकर वसीयत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.13 14:56:05 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

निष्पादन की जांच की है और सार्वजनिक आपत्ति भी आमंत्रित की गई है। जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त होना रिकार्ड पर नहीं है। अपीलांट से भी कोई आपत्ति प्रस्तुत करना पत्रावली में नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा बाद जांच दिनांक 25–03–2021 द्वारा नामान्तरण दर्ज किया गया है।

3. अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में कथित हिब्बानामा होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है, केवल कथनों के आधार पर अधिकारों का सृजन या राजस्व प्रकरणों में निर्णय लिया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में अपीलांट अपने हको के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/5/2024

(उम्मेदी लाल मीना)

अपर जिला कलक्टर

हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.13 14:56:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner